भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 925
दिनांक 22 नवम्बर, 2019 को उत्तर के लिए

बाल सुधार गृह

925. श्री डी॰के॰ सुरेशः
श्री तेजस्वी सूर्याः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय संपूर्ण देश विशेषकर कर्नाटक राज्य में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के लाभार्थियों की संख्या का आकलन करने में समर्थ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या प्रभावित किशोरों को अधिनियम के अंतर्गत वर्णित मूलभूत आवश्यकताओं की चीजें प्रदान करने में कोई अनियमितता पाई गई है और यदि हां, तो क्या सरकार ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के उपबंधों के अंतर्गत स्थापित विशेष गृहों की कोई औचक जांच/निरीक्षण किया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त अधिनियम के 2015 में कार्यान्वित होने से लेकर अब तक बाल संरक्षण सेवाएं योजना के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा कर्नाटक में प्रदान की गई पुनर्वास सेवाओं का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार अधिनियम के अंतर्गत सभी राज्यों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए कुछ अतिरिक्त निधियां आबंटित करना चाहती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) दत्तक ग्रहण आदेश पारित करने के संबंध में जिला न्यायाधीशों या न्यायालयों के समक्ष बेंगलुरु सहित राज्य-वार कितने मामले लंबित हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (घ) : किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 (जेजे एक्ट) के प्रावधान देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों (सीएनसीपी) और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों (सीसीएल) से संबंधित सभी मामलों पर लागू होते हैं। सीसीएल और सीएनसीपी के तहत बच्चों को जेजे एक्ट की क्रमशः धारा 2(13) औरा 2(14) के तहत परिभाषित किया गया है। अधिनियम को लागू कराने की प्रमुख जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है।

हालांकि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों को सहयोग करने के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम यानी 'बाल संरक्षण सेवा (सीपीएस)' (पहले समेकित बाल संरक्षण स्कीम) का कार्यान्वयन कर रहा है। स्कीम के कार्यान्वयन की प्रमुख जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। कर्नाटक सहित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा उपलब्ध कराई गई 'बाल संरक्षण सेवा (सीपीएस)' के तहत इन संस्थानों में रहने वाले बच्चों की संख्या सहित देश भर में बाल देखभाल संस्थानों का विवरण अनुलग्नक । में दिया गया है।

जेजे एक्ट और उसके तहत गठित किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) आदर्श नियमावली 2016 में अन्य बातों के अलावा बच्चों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं का मानदंड निर्दिष्ट किया गया है। जेजे एक्ट की धारा 54 और आदर्श नियमावली के नियम 41 के तहत निगरानी प्रक्रिया निर्धारित की गई है। मंत्रालय समय-समय पर राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से सभी सीसीआई को जेजे एक्ट के प्रावधानों के तहत पंजीकृत कराने का आग्रह करता रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीसीआई द्वारा प्रदान की जाने वाली इष्टतम सेवाएं अधिनियम और नियमावली के तहत निर्धारित देखभाल और संरक्षण के न्यूनतम मानक से कम न हों। जेजे एक्ट की धारा 39 में पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी का प्रावधान है।

मंत्रालय सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण के तहत सभी सीसीआई के निरीक्षण के लिए निर्देश जारी करने का आग्रह करता रहा है। मंत्रालय ने किसी सीसीआई में शोषण की किसी अप्रिय घटना की स्थिति में बच्चों के जीवन को किसी व्यवधान की स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को एक एडवाइजरी भी जारी की है। सीपीएस के तहत देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के समग्र विकास और कल्याण के लिए एक सुरक्षित और संरक्षित माहौल बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ड़) : केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) के अनुसार, विभिन्न परिवार और जिला न्यायालयों में लंबित दत्तकग्रहण मामलों की राज्य-वार संख्या और बेंगलुरु के परिवार/जिला न्यायालय में लंबित दत्तकग्रहण मामलों का विवरण अनुलग्नक ।। में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक-I

'बाल सुधार गृह' विषय के बारे में श्री डी॰के॰ सुरेश और श्री तेजस्वी सूर्या द्वारा दिनांक 22 नवम्बर, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 925 उत्तर के भाग (क) में संदर्भित विवरण

15-11-2019 को सीपीएस के तहत इन संस्थानों में रहने वाले बच्चों की संख्या सहित देश में बाल देखभाल संस्थानों का ब्यौरा

		संस्थागत देखभाल [होम्स]		मुक्त आश्रयगृह		विशिष्ट दत्तकग्रहण एजेंसियां	
क्र.सं.	राज्य	सहायितों की संख्या	लाभार्थी	सहायितों की संख्या	लाभार्थी	सहायितों की संख्या	लाभार्थी
1	आंध्र प्रदेश	66	2954	9	262	14	140
2	अरुणाचल प्रदेश	5	185	0	0	1	10
3	असम	37	1765	3	51	23	69
4	बिहार	26	1567	5	134	13	138
5	छतीसगढ़	65	2325	10	117	12	120
6	गोवा	23	1188	3	378	2	16
7	गुजरात	45	1706	0	0	12	86
8	हरियाणा	24	1322	14	425	7	52
9	हिमाचल प्रदेश	32	1268	4	91	1	15
10	जम्मू और कश्मीर	17	823	0	0	2	0
11	झारखंड	36	992	5	141	15	93
12	कर्नाटक	79	3056	38	1084	25	319
13	केरल	30	788	4	100	12	65
14	मध्य प्रदेश	67	2804	8	348	26	243
15	महाराष्ट्र	74	2320	2	50	17	170
16	मणिपुर	42	1160	14	296	7	55
17	मेघालय	44	960	3	159	3	6
18	मिजोरम	36	1195	0	0	5	50
19	नागालैंड	39	609	3	60	4	5
20	ओडिशा	96	6859	12	244	23	223
21	पंजाब	13	463	0	0	0	0
22	राजस्थान	85	2459	22	401	24	99
23	सिक्किम	12	355	3	60	4	20
24	तमिलनाडु	198	12864	11	275	20	200
25	त्रिपुरा	23	717	2	58	6	49
26	उत्तर प्रदेश	74	3703	20	517	25	247
27	उत्तराखंड	20	437	2	50	2	15
28	पश्चिम बंगाल	70	4156	49	1226	23	326
29	तेलंगाना	40	1277	0	0	11	320
30	अंडमान और निकोबार	10	401	-	0	2	10
31	चंडीगढ़	7	252	0	0	2	17
32	दादर और नागर हवेली	-	0	-	0	-	0
33	दमन और दीव	1	25	-	0	-	0
34	लक्षद्वीप	-	0	-	0	-	0
35	दिल्ली	28	1447	13	380	3	72
36	पुद्दुचेरी	27	1043	2	42	2	16
	कुल	**1491**	**65445**	**261**	**6949**	**348**	**3266**

अनुलग्नक-**II**

'बाल सुधार गृह' विषय के बारे में श्री डी॰के॰ सुरेश और श्री तेजस्वी सूर्या द्वारा दिनांक 22 नवम्बर, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 925 उत्तर के भाग (ड़) में संदर्भित विवरण

19.11.2019 को लंबित न्यायालय आदेश							
क्र.सं.	राज्य	**0-2** माह	**2-4** माह	**4-6** माह	**6-12** माह	**1** साल से अधिक	कुल
1	आंध्र प्रदेश	6	10	3	2	2	23
2	असम	9	11	1	2	1	24
3	बिहार	12	22	9	17	6	66
4	छत्तीसगढ़	9	4	0	1	0	14
5	दिल्ली	4	2	0	1	0	7
6	गुजरात	10	7	2	1	1	21
7	हरियाणा	3	6	1	2	0	12
8	हिमाचल प्रदेश	0	2	3	6	0	11
9	झारखंड	5	10	3	7	7	32
10	कर्नाटक	23	20	9	7	3	62
11	केरल	4	7	6	0	2	19
12	मध्य प्रदेश	14	11	6	8	5	44
13	महाराष्ट्र	55	36	36	24	6	157
14	मणिपुर	1	0	0	0	0	1
15	मिजोरम	1	1	1	0	0	3
16	ओडिशा	32	12	4	21	7	76
17	पांडिचेरी	2	0	0	0	0	2
18	पंजाब	6	3	0	2	0	11
19	राजस्थान	10	7	6	5	4	32
20	सिक्किम	0	0	2	0	0	2
21	तमिलनाडु	9	29	21	11	2	72
22	तेलंगाना	4	3	1	0	8	16
23	त्रिपुरा	2	2	0	0	0	4
24	उत्तर प्रदेश	17	20	7	21	12	77
25	उत्तराखंड	1	1	1	1	1	5
26	पश्चिम बंगाल	14	29	48	34	19	144
	कुल	**253**	**255**	**170**	**173**	**86**	**937**

बेंगलुरु में दत्तकग्रहण आदेश के लिए लंबित मामलों की संख्या 11 है।

*केयरिंग्स डाटा के अनुसार